

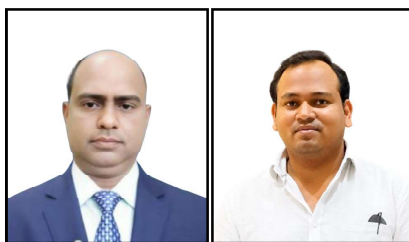
AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189



भारतीय न्याय व्यवस्था में विधिक प्रारूपण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: संभावनाएँ एवं प्रभाव

ORIGINAL ARTICLE



Authors

रवीन्द्र कुमार

सहायक प्राध्यापक

विधि संकाय

डी. ए. वी. डिग्री कॉलेज

लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

ज्योतिबा अशोक

सिवान, बिहार, भारत

शोध सार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग भारतीय न्याय व्यवस्था के विधिक प्रारूपण व अन्य प्रक्रिया से जुड़े कार्यों में निरंतर बढ़ रहा है। यह शोध आलेख कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाएँ एवं प्रभाव तथा मानवीय विवेक के पारस्परिक संबंधों का परीक्षण करता है। शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विधिक प्रारूपण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोगिता एक सहायक कृत्रिम साधन के रूप में हो संभव हो सकती है। वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विधिक प्रारूपण में संदर्भगत समझ, नैतिक विवेक और मानवीय निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। अतः यह मानवीय बौद्धिक क्षमता के प्रतिस्थापन के बजाय सहायक एवं पूरक साधन के रूप में अपनाया जाना अधिक उपयुक्त है। शोध, विधिक प्रारूपण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग के लिए मानवीय निरीक्षण, डाटा सुरक्षा तथा प्रभावी नियामक ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विधिक प्रारूपण, मानवीय बौद्धिक क्षमता, न्याय व्यवस्था।

भूमिका

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI: Artificial Intelligence), वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, भारतीय न्याय क्षेत्र भी इस वैश्विक परिवर्तन से अछूता नहीं रहा है। भारत में सामाजिक विविधता व असमान शिक्षा, बड़ी संख्या मेंवादों के बढ़ने व उनका निस्तारण किसी चुनौती से कम नहीं है। भारतीय संदर्भ में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग ने विधिक प्रारूपण (Legal Drafting), अनुसंधान, तथा विश्लेषण जैसे कार्यों में उपयोगिता को स्थापित किया है। विधिक प्रारूपण, पूर्णतः मानवीय बौद्धिक कौशल, भाषा-निपुणता तथा विधिक तर्कशक्ति पर आधारित माना जाता रहा है। हालांकि, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विधिक प्रारूपण में मानवीय बौद्धिक कौशल व संदर्भगत समझ के लिये चुनौती बन सकती है या मात्र एक सहायक उपकरण के रूप में कार्यरत है। भारतीय न्याय व्यवस्था एक ऐतिहासिक विधिक परंपरा, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता व विधिशास्त्र पर आधारित न्याय प्रणाली है। इस परिपेक्ष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग से उत्पन्न विभिन्न विधिक, नैतिक तथा मानवीय बौद्धिक कौशल के उपयोगिता पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य इन्हीं प्रश्नों का समीक्षात्मक विश्लेषण करना व सुझाव स्थापित करना है।

साहित्य समीक्षा

Tarun and Animesh, 2026, AI and Technology in the Indian Judiciary: A Step Toward Enhancing Efficiency and Equity: इस लेख में भारतीय न्याय व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की संभावनाओं तथा चुनौतियों पर प्रमुखता

से विश्लेषण किया गया है। लेखक ने SUPACE (Supreme Court Portal for Assistance in Court's Efficiency) जैसे उठाए गये न्यायिक कदमों का विश्लेषण किया है।

Roy, Antara 2024, Artificial Intelligence With Law In India: इस शोध लेख में विधिक व्यवस्था की कार्यवाही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को केंद्र बिन्दु में रखते हुये एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। लेखक मुख्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोगिता व अनुपयोगिता के आधार पर तथ्य विश्लेषित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विधिक दस्तावेज की समीक्षा व विधिक अनुसंधान तथा विधिक विश्लेषण जैसे प्रमुख कार्यों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। हालांकि, लेखक का विश्लेषण है कि सृजनात्मक विधिक तर्क-वितर्क तथा रणनीति-निर्माण में मानवीय कौशल विशेष महत्व रखता है।

Sayed, Hifajatali 2024, Artificial intelligence and criminal liability in India: exploring legal implications and challenges: कृत्रिम बुद्धिमत्ता विधिक प्रारूपण में नैतिक तथा विधिक नियामक के लिये चुनौती है। लेखक का मत है कि भारत में डाटा संरक्षण, बौद्धिक संपदा तथा दायित्व (Liability) से संबंधित स्पष्ट व व्यवस्थित विधि के अभाव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विधिक प्रारूपण में अनियंत्रित प्रयोग जोखिमपूर्ण है।

Kumar, Anil and Navya, 2021, Artificial Intelligence (AI) and the Future of Law: इस लेख में भारतीय अधिवक्ताओं की कार्यक्षमता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की स्करात्मक उपयोगिता का विश्लेषण किया गया है। इस शोध लेख में लेखकों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वर्तमान समय की आवश्यक पूरक प्रणाली के तौर पर रेखांकित किया है साथ ही, विधिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी-प्रशिक्षण को सम्मिलित करना व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग की सकरात्मकता पर जोर दिया है।

Kaur, Jasdeep 2014, Development in Law and Use of Technology: Relevance for Judge's Research: विधि का विकास के संदर्भ में प्रौद्योगिकी की भूमिका का विश्लेषण इस लेख का केंद्र बिन्दु है। लेखक के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग न्याय व्यवस्था को सुगम व तेज बना सकता है। हालांकि, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा पूर्वाग्रह जैसी समस्याओं का समाधान किये बिना इसकी उपयोगिता सकरात्मक नहीं हो सकेगी।

उपर्युक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट है कि विद्वानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग में औसतन सामान्य सहमति है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विधिक क्षेत्र में एक सहायक उपकरण के रूप में सकरात्मक रूप से उपयोगी है, हालांकि, इसके प्रयोग से मानवीय निर्णय-क्षमता, नैतिक विवेक तथा संदर्भगत समझ का पूर्ण स्थानापन्न संभव नहीं है।

अनुसंधान का प्रकार व उद्देश्य

शोध लेख का प्रसार भारतीय विधिक प्रणाली के अंतर्गत विधिक प्रारूपण की प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग, इसके प्रभावों, संभावनाओं तथा चुनौतियों तक सीमित है। इस अध्ययन में विशेष रूप से विधिक राय (Legal Opinion), विधिक प्रारूपण (Legal Drafting), अनुसंधान, तथा विश्लेषण में निर्माण व नियामक दस्तावेजीकरण के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग की समीक्षा की गई है।

शोध लेख के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. विधिक प्रारूपण में AI के वर्तमान प्रयोग की स्थिति का विश्लेषण करना।
2. मानवीय बुद्धि व कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मध्य पारस्परिकता का अध्ययन करना।
3. AI आधारित विधिक प्रारूपण से उत्पन्न नैतिक, विधिक तथा व्यावहारिक चुनौतियों की पहचान करना।
4. भारतीय न्याय व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से जनित विधिक समस्याओं पर सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रश्न

शोध लेख के प्रश्न निम्नलिखित हैं:

1. विधिक प्रारूपण के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोगिता किस सीमा तक संभव है?
2. क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विधिक प्रारूपण में मानवीय विवेक, नैतिकता तथा संदर्भगत समझ की प्रभावी विकल्प बन सकती है?
3. भारतीय न्याय व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विधिक प्रारूपण के नियमन हेतु किस प्रकार की विधिक ढाँचा की आवश्यकता है?

शोध प्रक्रिया

इस अध्ययन में गुणात्मक अनुसंधान पद्धति (Qualitative Research Methodology) अपनायी गयी है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्रोत जैसे न्यायिक निर्णयों, तथा न्यायालय द्वारा AI संबंधी पहलुओं जैसे SUPACE एवं SUVAS का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए विद्यमान विधिक ढाँचे में उपस्थित कमियों व संभावित सुधारों की पहचान की गई है।

आलेख को और भी अधिक परिष्कृत करने के ध्येय से द्वितीयक स्रोत में शीर्षक से संबंधित विषय पर प्रामाणिक विधिक पुस्तकों, विभिन्न विश्वसनीय लेख, तथा ऑनलाइन डाटाबेस से प्राप्त व्यक्तियों का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया गया है।

विचार विमर्श

वर्तमान समय में भारतीय न्याय व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोगिता में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित SUPACE (Supreme Court Portal for Assistance in Court's Efficiency) तथा SUVAS (Supreme Court Vidhik Anuvaad Software) जैसी पहल के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को न्यायिक प्रक्रिया में विधिक तौर पर सम्मिलित करने का प्रयास किया है। SUVAS का प्रयोग विधिक दस्तावेजों के अनुवाद में किया जा रहा है, जबकि SUPACE न्यायाधीशों को प्रासंगिक तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों की खोज में सहायता प्रदान करता है।

विधिक प्रारूपण में, अनेक निजी लॉ फॉर्मर्स व कॉर्पोरेट कानूनी विभाग AI का प्रयोग कर रहे हैं, जो मानक अनुबंधों का प्रारूप स्वचालित रूप से तैयार करने, जोखिम विश्लेषण करने तथा त्रुटियों की पहचान करने में सक्षम हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से न सिर्फ समय की बचत संभव है बल्कि मानवीय त्रुटि की संभावना को कम किया जा सकता है।

हालांकि, विधिक प्रारूपण केवल शब्दों तथा वाक्यों की संरचना नहीं होता बल्कि विधिक तथ्यों की गहन समझ, सभी पक्षकारों के आशय, सामाजिक संदर्भ, नैतिक विचार तथा विधिक व्याख्या की सूक्ष्मताएँ भी सम्मिलित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 जैसे मौलिक अधिकारों की व्याख्या में जो सूक्ष्म मानवीय विवेक आवश्यक होता है, जिससे संदर्भित वर्तमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रणालि में अभाव देखने को मिलता है। न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले निर्णयों में सामाजिक न्याय, समता तथा नैतिकता के तत्व निहित होते हैं, जिन्हें यह मशीनी एल्गोरिदम वर्तमान समय में पूर्णतः स्थापित कर सकने में सक्षम नहीं हैं।

इन तथ्यों के अतिरिक्त, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत की भाषाई व सांस्कृतिक विविधता जैसे कारकों से अंशिक रूप से जुड़ी है। अधिकांश कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली अंग्रेजी भाषा पर आधारित प्रशिक्षण डाटा पर निर्भर हैं, जबकि भारत में विधिक कार्यवाही अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में भी संपन्न होती है। परिणामतः AI उपकरणों की सटीकता तथा विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से डाटा संरक्षण तथा गोपनीयता संबंधित मुद्दे भी प्रमुखता से उभर कर आते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विधिक दस्तावेज में सम्मिलित संवेदनशील एवं गोपनीय जानकारी के विश्लेषण से इन दस्तावेजों का सामान्य जीवन में उजागर होने का भय बना रहता है। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली में संवेदनशील व गोपनीय डाटा के दुरुपयोग व विधिक उल्लंघन की संभावना भी बनी रहती है। भारतीय डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है फिर भी, विधिक प्रारूपण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग हेतु विशिष्ट दिशानिर्देशों का अभाव बना हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम में निहित पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias) की समस्या भी विचारणीय है। यदि प्रशिक्षण डाटा में पहले से ही सामाजिक अथवा अन्य पूर्वाग्रह विद्यमान हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज अथवा सुझाव भी पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं, जो भारतीय संविधान की समता की भावना के विपरीत होगा।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारतीय विधिक प्रणाली में अधिवक्ताओं तथा न्याय व्यवस्था के कार्यभार को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। हालांकि, विधिक प्रारूपण मानवीय विवेक, नैतिक समझ, संदर्भगत ज्ञान तथा सामाजिक न्याय पर निहित होती है। यह गुण वर्तमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में देखने को नहीं मिलता है।

अतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानवीय बुद्धि का प्रतिस्थापन नहीं, अपितु एक सहायक एवं पूरक साधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। एक संतुलित विधिक प्रारूपण में मानवीय निरीक्षण, जवाबदेही तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित कर प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का लाभ लिया जा सकता है। एक सुदृढ़ नियामक ढाँचे, समावेशी प्रशिक्षण डाटा के माध्यम से

भारतीय न्याया व्यवस्था में AI की क्षमता का जिम्मेदारीपूर्वक तथा न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। परिणामतः न्याय सुगम व सशक्त संभव होगा और विधिक प्रारूपण की मानवीय आत्मा भी संरक्षित रहेगी।

सुझाव

लेखक द्वारा इस शोध आलेख में निम्नलिखित सुझाव सुझाये गये हैं। जिनके प्रयोग से विधिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का स्करात्मक उपयोग संभव है।

1. भारत में विधिक प्रारूपण में AI के प्रयोग हेतु एक समग्र नियामक ढाँचा तैयार किया जाना चाहिए, जो पारदर्शिता तथा जवाबदेही के मुद्दों पर स्पष्टता रखे।
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा तैयार दस्तावेज की अनिवार्य समीक्षा तथा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3. AI प्रणाली के प्रशिक्षण डाटा में भारतीय भाषा व स्थानीय विधिक परंपराओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे पूर्वाग्रह की समस्या को न्यूनतम किया जा सके।
4. विधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं अन्य सामान्य प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
5. विधिक दस्तावेजों में प्रयुक्त संवेदनशील डाटा की सुरक्षा हेतु उपयोगी डाटा संरक्षण मानकों को तैयार कर उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
6. विधिक व्यवस्था में AI के प्रयोग से संबंधित नैतिक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए, जो मानवीय गरिमा तथा संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे।

संदर्भ सूची

1. Kumar, Anil and Navya (2021) Artificial Intelligence (AI) and the Future of Law. *IJPREMS*, Vol. 5, Issue 1, Available at: https://www.ijprems.com/uploadedfiles/paper/issue_1_january_2025/38263/final/fin_ijprems1737371419.pdf, Accessed on 08/06/2026.
2. Roy, Antara (2020) Artificial Intelligence with Law in India. *IJCRT*, Vol. 12, Issue 1, Available at: <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2401013.pdf>, Accessed on 28/06/2026.
3. Sayyed, Hifajatali (2022) Artificial intelligence and criminal liability in India: exploring legal implications and challenges. *CSS*, Vol. 10, Issue 1, Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/23311886.2024.2343195?needAccess=true>, Accessed on 26/05/2026.
4. Kaur, Jasdeep (2014) Development in Law and Use of Technology: Relevance for Judge's Research. *NULJ*, Vol. 4, Issue 1, Available at: <https://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/AA576CE6-2AFA-4797-811F-26CE6F7B81F7.pdf>, Accessed on 20/06/2026.
5. Solanki Taruna and Pareek, Animesh (2026) AI and Technology in the Indian Judiciary: A Step Toward Enhancing Efficiency and Equity. *LRSQ*, Vol. 25, Issue 1, Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/0270319X.2026.2617784?needAccess=true>, Accessed on 04/05/2026.
6. Md, Tasnimul Hassan (2023) The Perils and Promises of Artificial Intelligence in Criminal Sentencing. *IJLT*, Vol. 19, Issue 2, Available at: <https://repository.nls.ac.in/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=ijlt>, Accessed on 17/05/2026.
7. The Advocates Act, 1961 (Act No. 25 of 1961).
8. The Constitution of India, 1950.
9. The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (Act No. 22 of 2023).
10. The Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of 2000).

====00====